185/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	अहलकार की मार्फत
20.08.2025	फरीकान के अधिवक्ता उप / अनु / पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16.10.2024 को पेश है।	
16/10/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी एकपक्षीय। प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीनी की ओर से विवादित आराजी के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया गया है,जिसमें प्रार्थीनी को सफलता मिलने की संभावना है। प्रार्थीनी की पुश्तैनी भूमि ग्राम नवातला तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा की खसरा संख्या 1897/708 व 1899/708 कुल रकबा 82.07 बीधा भूमि अवस्थित है,जो कि मुतवफी मगनाराम पुत्र जीयाराम के नाम खातेदारी में इन्द्राज थी। प्रार्थीनी मगनाराम की जायन्दा पुत्रिया है। मगनाराम के फौत होने पर फौतदगी नामान्तकरण प्रतिवादी के नाम दर्ज किया गया तथा प्रार्थीनी को उनके हक हकूको से महरूम रखा गया,जबकि प्रार्थीनी मगनाराम की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होने के कारण उनके नाम भी नामान्तकरण में दायर किए जाना चाहिए था,लेकिन विप्रार्थी द्वारा जानबूझकर प्रार्थीनी का नाम दायर नहीं करवाया। विप्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टि का नाजायज फायदा उठाते हुए विवादित आराज़ी को बेचान करने एवं मौका स्थिति फेरबदल करने पर उतारू है। यदि स्थगन आदेश जारी नही किया गया,तो प्रार्थीनी को क्षति होगी। अतः प्रार्थीनी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व स्थगन आदेश पारित किया जावे कि विवादित आराजी की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति की यथास्थिति बनाए रखें। हमनें प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी एवं मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम नवातला तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा की खसरा संख्या 1897/708 व 1899/708 कुल रकबा 82.07 बीधा भूमि विप्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थीनी की ओर से विवादित आराजी में खातेदारी धोषित करवानें	

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.10.25 16:47:28 IST
Reason: SelfAttested

व बाद बंटवाड़ा करवानें का वांछित अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीनी राहत प्राप्त करने की हकदार है अथवा नहीं। लेकिन प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं बनता है तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं बनता है,क्योंकि प्रार्थीनी विवादिता आराजी की खातेदारी घोषित करवानें की इस्तदुआ चाही गई है,जबकि विप्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार है,यदि स्थगन आदेश पारित किया जाता है,तो विप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होनी की संभावना बनती है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं बनते है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2024.10.25 16:47:28 IST
Reason: SelfAttested